

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रांक: 34528-38 / वसूली / ओ०टी०एस० / 18-19

दिनांक: 11.4.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं०-सी-02 / वसूली / ओ०टी०एस० / 2018-19, दि० 05.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "एक मुश्त समाधान योजना-2018" के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। चूँकि वसूली वर्ष 2017-18 की समाप्ति में मात्र तीन माह से भी कम का समय अवशेष रह गया है। विगत 9 माह में बैंक देयों की वसूली कुल माँग के सापेक्ष प्रदेश स्तर पर मात्र 18.12 प्रतिशत हुई है, जो कि वर्तमान बैंक की वित्तीय स्थितियों के कदाचित अनुकूल नहीं है। बैंक को अपनी देनदारियों के सुगमता पूर्वक निर्वहन में कठिनाईयों का समाना करना पड़ रहा है।

अतएव उचित होगा कि बैंक में लागू की गई "एक मुश्त समाधान योजना-2018" के अन्तर्गत अधिकाधिक बकायेदारों को प्रेरित कर उनसे बकाया धनराशि जमा कराई जाय। जिससे कि बैंक का वित्तीय प्रवाह अपेक्षानुरूप हो सके। योजना के सफल बनाने हेतु आपके स्तर से समुचित प्रयास इस प्रकार किये जाये कि योजना का लाभ कृषकों को शत-प्रतिशत प्राप्त हो जाये और कोई भी कृषक इस योजना के लाभ से वंचित न रहने पाये। उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधोलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं-

1. सर्वप्रथम "एक मुश्त समाधान योजना-2018" योजना हेतु निर्गत परिपत्र का समस्त स्टाफ भली-भाँति अध्ययन कर लें, ताकि आच्छादित बकायेदारों को दी जाने वाली छूट के बारे में उनको विधिवत् अवगत कराया जा सके।
2. "एक मुश्त समाधान योजना-2018" हेतु निर्गत परिपत्र की एक प्रति मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, राजस्व विभाग, एवं सहायक आयुक्त एवं अन्य समस्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपलब्ध करा दें, तथा उनसे बैंक देयों की वसूली में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु, उक्त के परिपेक्ष्य में अनुरोध कर समीक्षा बैठकें आहूत करायें।
3. "एक मुश्त समाधान योजना-2018" हेतु निर्गत परिपत्र की एक प्रति अपने शाखा प्रतिनिधि एवं प्रबन्ध समिति के संचालक मण्डल के सदस्य को व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपलब्ध करा दें, तथा उनसे भी कृषकों को योजना के बारे में अधिकाधिक लाभान्वित कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।
4. उक्त योजना के लाभ के सम्बन्ध में श्रेणीवार आच्छादित होने वाले बकायेदारों का चिन्हांकन करते हुए पृथक-पृथक विवरण तैयार कर लें तथा बकायेदारों को प्राप्त होने वाली छूट से अभियान के तहत दि० 20.04.2018 तक प्रत्येक कृषक को नोटिस / व्यक्तिगत तकाजे एवं अन्य संचार के माध्यमों से अवगत करा दें।
5. योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, इस हेतु शाखा, तहसील, ब्लाक, जिला स्तर पर तथा बड़े कस्बों में बैनर आदि लगवायें एवं पैम्फलेट के माध्यम से भी सूचित किया जाय (संलग्न बैनर का प्रारूप)।
6. योजना को सफल बनाने हेतु प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण नियमित रूप से करते रहें। भ्रमण के दौरान ओ०टी०एस० के सन्दर्भ में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य से भी मिलकर योजना के सन्दर्भ में अवगत कराते हुए सहयोग प्राप्त करें।
7. ओ०टी०एस० योजना के अन्तर्गत कुल आच्छादित बकायेदारों में से माह अप्रैल में 30 प्रतिशत, माह मई में 35 प्रतिशत एवं माह जून में 35 प्रतिशत, के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रतिमाह पूर्ति सुनिश्चित की जाय

8. योजना के अन्तर्गत शाखा के कुल आच्छादित पात्र बकायेदारों का अपने अधीनस्थ समस्त टोली/स्टाफ के मध्य तत्काल आवंटित कर दें, तथा नियमित रूप से समीक्षा भी करते रहें।
9. योजना के अन्तर्गत ऐसे बड़े बकायेदार जिन पर कार्यवाही भी प्रचलन में है, उन बकायेदारों को योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली छूट के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए उन्हें अपना बकाया जमा कराने हेतु प्रेरित करें।
10. शाखा के 50 बड़े बकायेदारों, शून्य वसूली वाले बकायेदारों एवं भूमि विक्रय वाले बकायेदारों, को विशेष रूप से योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली छूट से अवगत कराये तथा उक्त ऋण खातों को बन्द करने का प्रयास गम्भीरतापूर्वक किया जाय।
11. योजना का लाभ प्राप्त करने वाले ऋणी सदस्यों/बकायेदारों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों मा० सांसद, विधायक, सदस्य बैंक संचालक मण्डल के, माध्यम से "एकमुश्त समाधान योजना" के अन्तर्गत बन्द किये गये ऋण खाते का प्रमाण पत्र सम्बन्धित कृषकों को वितरित कराया जाय।(संलग्न प्रमाण पत्र)
12. योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु मुख्यालय को पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना पाक्षिक रूप से मण्डल स्तर पर संकलित करते हुए वसूली अनुभाग की ई०मेल०आई०डी upsgybrec@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय(संलग्न प्रारूप)।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए "एकमुश्त समाधान योजना"(ओ०टी०एस०) का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र कृषकों को लाभान्वित करते हुए वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(के०पी०सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक, लि० प्र०का०/प्रशि० केन्द्र लखनऊ, को इस आशय के साथ कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने पर्यवेक्षणाधीन शाखाओं पर नियमित रूप से भ्रमण कर, एक मुश्त समाधान योजना-2018 के मासिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। योजना को सफल बनाने हेतु आप अपने अधीनस्थ शाखाओं का गहन अनुश्रवण नियमित रूप से अवश्य करें, जिससे कि योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक कृषकों को लाभ प्राप्त हो सके एवं वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति शत-प्रतिशत हो सके।
2. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की समस्त शाखाओं को ई०मेल० करने हेतु।
3. समस्त शाखा प्रतिनिधि, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य संचालक मण्डल, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. आयुक्त एवं निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
10. सभापति के निजी सचिव को, मा० सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

शाखा , जनपद.....

के ऐसे बकायेदार जिन्हें 'ऋण मोचन योजना' का लाभ नहीं मिला, उन्हें भी लाभ/राहत देने के लिए उ०प्र०सरकार की कृषकों हेतु हितकारी पहल एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश जारी कर

बहुप्रतीक्षित

'एक मुश्त समाधान योजना-2018'

लागू

बकायेदार ऋणी सदस्यों को ब्याज में आकर्षक छूट पाने का स्वर्णिम अवसर

योजना की पात्रता :

- दि० 31.03.1997 तक एवं उससे पूर्व के ऋणी सदस्यों को देय बकाया मूलधन जमा करने पर शत-प्रतिशत तक ब्याज में छूट।
- दि० 1.04.1997 से दि० 31.03.2007 तक के मध्य ऋण प्राप्त करने वाले बकायेदार सदस्यों से बकाया मूलधन एवं लिए गये ऋणराशि के बराबर ही बकाया ब्याज जमा करने का अवसर। अवशेष देय समस्त ब्याज शत प्रतिशत माफ।
- दि० 1.04.2007 से दि० 31.03.2012 तक के मध्य ऋण प्राप्त करने वाले बकायेदार सदस्यों को देय समस्त मूलधन जमा करने पर देय समस्त ब्याज में 50 प्रतिशत तक की भारी छूट।

योजना दिनांक 31.03.2012 तक या उससे पहले के वितरित ऋण पर ही लागू

योजना सीमित अवधि तक के लिए लागू

अधिक जानकारी के लिए तुरन्त शाखा से सम्पर्क करें।

कार्यालय दूरभाष:

शाखा प्रबन्धक मोबाईल नं० 6390200- - -

योजना के सम्बन्ध में बैंक मुख्यालय के सम्पर्क सूत्र-प्रबन्ध निदेशक कैम्प: 0522 3056439, महा प्रबन्धक(वसूली) कैम्प: 0522 3056353, मो०नं० 6390200600

सहायक महा प्रबन्धक(वसूली) कैम्प: 0522 3056390, मो.नं. 6390200390, वसूली अनुभाग: 0522 3056415

सावधि जमा योजना आकर्षक ब्याजदर पर उपलब्ध

शाखा के सदस्यों को जमा राशि के ब्याज पर आयकर की छूट

